

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

30प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, 30प्र०।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ: दिनांक- 3 अक्टूबर, 2002

उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

विषय : प्रदेश के स्थानीय निकायों के विकास हेतु पं० दीन दयाल उपाध्याय नगरोदय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 2684/69-1-2002-45(सा)/2002 दिनांक 20 सितम्बर, 2002 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में निम्नलिखित भी सम्मिलित करते हुए नगरोदय योजना का क्रियान्वयन सुविधिचत किया जाये :-

- (1) नगर निकाय से संबंधित सदस्य विधान सभा अवधा विधान परिषद् द्वारा यदि किसी कार्य के लिये विशेष आग्रह किया जाता है और यदि वह कार्य विभागीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों से आच्छादित हो, तो उसे कार्यक्रम के अन्तर्गत उस नगर में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत प्राथमिकता पर चयनित कर सम्मिलित कर लिया जाये।
- (2) जिला स्तरीय समिति में, सहयुक्त नियोजक, सम्भागी नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, भी सदस्य होंगे।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-2976(1)/69-1-2002-45 (सा)/2002 तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि एवं शासनादेश सं०-2684/69-1-2002-45(सा)/2002 दिनांक 20 सितम्बर, 2002 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र० शासन।
2. सचिव, आवास, 30प्र० शासन।
3. आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद्, 30प्र० शासन।
4. निदेशक, मण्डी परिषद्, 30प्र० शासन।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, 30प्र० शासन।
6. निदेशक, सूडा, 30प्र०, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, 30प्र० लखनऊ।
8. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, दूड़ा, 30प्र०।
9. गार्ड फाइल।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव